

# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 06 माह का कठोर कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है उ०नि० संकठा प्रसाद मौर्या थाना जायस जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 15.10.2023 को अभियुक्त तन्ना उर्फ रमीज हसन पुत्र मो० नसीम निवासी शेखाना थाना जायस जनपद अमेठी के कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर मु०अ०सं० 306/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जायस पर पंजीकृत कराया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 19.03.2024 को माननीय न्यायालय एफटीसी- प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 06 माह का कठोर कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 06 माह का कठोर कारावास ।
- अभियुक्त को 8,000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड ना अदा करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

तन्ना उर्फ रमीज हसन पुत्र मो० नसीम निवासी शेखाना थाना जायस जनपद अमेठी।

एडीजीसी श्री राम  
प्रकाश त्रिपाठी

पैरोकार का० राहुल  
कुमार



@amethipolice



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल अमेठी



#Amethipolice



Amethipolice